न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर
पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारेलाल सोंठवाल (आर0ए0एस0)
प्रार्थना पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 136

बउनवान

1. बुद्धा पुत्र नानगा जाति माली निवासी ग्राम बहादरपुर पटटी जोडिया उप तहसील बहादरपुर जिला अलवर।

—–प्रार्थी

बनाम

1. राज.सरकार जरिये तहसीलदार अलवर।

—–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

पत्रवली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595 कुल किता 15 रकबा 5.40 हैक्टेयर वाकेग्राम बहादरपुर पटटी कानूनगो में प्रार्थी का हिस्सा 1/6 साबिक रिकार्ड में दर्ज है। सम्वत 2072 में बनी जमाबन्दी में प्रार्थी का हिस्सा 1/6 के स्थान पर 1/12 दर्ज कर दिया गया एवं प्रार्थी की जाति सैनी के स्थान पर चमार दर्ज कर दी गई। जिससे 1/12 के स्थान पर 1/6 एवं जाति चमार के स्थान पर सैनी दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रा0पत्र पर तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अलवर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि जमाबन्दी सम्वत 2038 में साबिक खसरा नम्बरान 306, 307, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 346, 347, 348 में मु.पार्वती बेवा नानगा, उदयराम, बुधाराम पि.नानगा कौम माली बराबर हि.1/6 दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2043 बनाते समय धनीराम हि. 1/6 अधिक जुड गया। जिससे कुल खाते का योग 1/6 अधिक हो गया। मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2051 में उक्त साबिक खसरा नम्बरान के हाल खसरा नम्बरान में मु.पार्वती बेवा नानगा, उदयराम, बुद्धाराम पि.नानगा कौम माली हि. 1/6 रिकार्ड दर्ज है। कुल खाते का योग 1/6 यहां भी अधिक है। सम्वत 2047–2050 में पार्वती व उदयराम की विरासत जरिये इंतकाल संख्या 03 मृतक मु.पार्वती बेवा व उदयराम बहक मदन, बाबूलाल, कमल पि.उदयराम, रूकमणी बेवा उदयराम बहिस्सा बराबर 1/12, बुधाराम पुत्र नानगा माली हि. 1/12 दर्ज हुआ है। जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 के खाता संख्या 90 पर बुधा पुत्र नानगा हि. 1/6 दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 सेग्रीगेशन ऑनलाईन बनाते समय सहवन से बुद्धाराम पुत्र नानगा का हि. 1/6 के स्थान पर 1/12 हि. दर्ज हो गया। सम्वत 2059–2062 में इंतकाल संख्या 228 दिनांक 25.01.2005 द्वारा उदयराम

के वारिसान ने अपना हिस्सा 1/12 जरिये रिलिज मदन, बाबूलाल, कमल व रूकमणी बहक बुधाराम पुत्र नानगा माली सा.देह के पक्ष में कर दिया। जिससे बुधाराम पुत्र नानगा माली का हिस्सा 1/6 दर्ज हुआ। उप तहसीलदार बहादरपुर ने साबिक रिकार्ड अनुसार बुद्धा पुत्र नानगा का हिस्सा 1/12 के स्थान पर 1/6 व जाति चमार के स्थान पर माली दर्ज करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रवली का अवलोकन किया। उप तहसीलदार बहादरपुर की अभिशंषा एवं प्रस्तुत प्रा0पत्र पर मनन किया। साबिक रिकार्ड के अनुसार 306, 307, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 346, 347, 348 में मु.पार्वती बेवा नानगा, उदयराम, बुधाराम पि. नानगा कौम माली बराबर हि.1/6 दर्ज रिकार्ड है। किन्तु जमाबन्दी सम्वत 2043 बनाते समय धनीराम हि. 1/6 अधिक जुड जाने से कुल खाते का योग 1/6 अधिक हो गया। एवं सम्वत 2059–2062 में इंतकाल संख्या 228 दिनांक 25.01.2005 द्वारा उदयराम के वारिसान ने अपना हिस्सा 1/12 जरिये रिलिज मदन, बाबूलाल, कमल व रूकमणी बहक बुधाराम पुत्र नानगा माली सा.देह के पक्ष में कर देने के कारण बुधाराम पुत्र नानगा माली का हिस्सा 1/6 बनना पाया जाता है। मुताबिक साबिक रिकार्ड के आधार एवं मु.पार्वती व उदयराम के वारिसान द्वारा अपना हिस्सा 1/12 जरिये रिलिज बुधाराम के पक्ष में करने पर प्रा0पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक साबिक रिकार्ड, उप तहसीलदार बहादरपुर की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है। साबिक रिकार्ड जमाबन्दी 2038 के अनुसार बुद्धराम पि.नानगा एवं इंतकाल संख्या 228 दिनांक 25.01.2005 बाबूलाल, कमल, मदन व रूकमणी बहक बुद्धाराम पुत्र नानगा के पक्ष में जरिये रिलिज के नाम हाल आराजी खसरा नम्बर 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595 कुल किता 15 रकबा 5.40 हैक्टेयर वाकेग्राम बहादरपुर पटटी कानूनगो में प्रार्थी का हिस्सा 1/6 एवं जाति चमार के स्थान पर माली दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उप तहसीलदार बहादरपुर को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित है। प्रा0पत्र फैसल शुमार हो।

शिविर प्रभारी
(उपखण्ड अधिकारी)
अलवर

निर्णय आज दि0 20.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प बहादरपुर पटटी जोडिया में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
अलवर